न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 07/2016

अपीलांट		**रेस्पोडेंट्स**
बाबूराम पुत्र खेताराम जाति मेगवाल निवासी मेगवालों की ढाणी सोहड़ा तहसील गिड़ा	**बनाम**	1. मंगला पुत्र प्रभूराम 2. सता पुत्र प्रभूराम 3. जोगा पुत्र प्रभूराम 4. चूना पुत्र प्रभूराम 5. टीपू बेवा प्रभूराम जातियान मेधववाल निवासीगण निम्बों की ढाणी सोहड़ा तहसील गिड़ा 6. तेजाराम पुत्र भीखाराम जाति मेगवाल निवासी पनावडा तहसील गिड़ा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 19.11.2013 जो तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित— 1. अपीलांट उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 4 उपस्थित
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 एवं 5 व 6 अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक 30.6.2016**

1. संक्षेप में, अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ग्राम मेघवालों की ढाणी सोहड़ा तहसील गिड़ा का निवासी है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 की पैतृक भूमि ग्राम सोहड़ा के खसरा नंबर 330/238 मे रकबा 25 बीघा आई हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 4 ने उक्त भूमि में से रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि का दिनांक 27.9.2012 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा से बेचान कर मौके पर जहॉं रेस्पोडेंट संख्या 4 काबिज काश्त था, उस स्थल का बेचान कर भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 6 ने अन्य रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 की खसरा नंबर 330/238 की

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

रकबा 07 बीघा भूमि खरीदी, जो उक्त खसरा में रिकार्डेड खातेदार है। उक्त खसरा नंबर 330/238 की कुल रकबा 25 बीघा सामलाती कृषि भूमि में से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 का 1/5 – 1/5 हिस्सा है अर्थात प्रत्येक हिस्सेदार के हिस्से में 5–5 बीघा भूमि आई हुई है। तदनुसार मौके पर मौखिक रूप से किये गये बंटवाडे अनुसार काबिज काश्त रहे है। रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा जिस भूमि का बेचान किया है, उस पर आज भी अपीलांट का कब्जा काश्त है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान लगाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 ने मिलीभगत पर अपीलांट की कब्जा काश्त की भूमि के स्थान पर राजस्व नक्शे में रेस्पोडेंट संख्या 6 की तरमीम बताई जाकर उक्त तरमीम व बंटवाड़ा आदेश 19.11.2013 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का ज्ञान पूर्व मे नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद सुमार करने का भी निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया गया है।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पाडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया।
3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केम्प कोर्ट गिड़ा में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को नोटिस की तामिल करा दी गई थी। अपीलांट उपस्थित। रेस्पोंडेटंस संख्या 04 उपस्थित। दीगर रेस्पोडेंटस अनुपस्थित।
4. अपीलांट ने जाहिर किया कि तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.2013 मौके की स्थिति अनुसार नहीं है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश की तिथि में काट–छांट कर दिनांक 26.11.2013 की गई है, जबकि तहसीलदार गिड़ा द्वारा किये गये हस्ताक्षरो के नीचे तिथि 19.11.2013 अंकित है। तहसीलदार गिड़ा के समक्ष पेश बंटवाड़ा आवेदन में अपीलांट के कूटरचित एवं फर्जी हस्ताक्षर किये गये हे। इससे जाहिर होता हैं कि प्रश्नगत आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में जारी किया गया है। लिहाजा तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश प्रकरण एवं मौके की स्थिति के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

5. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2013 पारित करने से पूर्व सम्बनिधत पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना एवं अपीलाधीन आदेश की तिथियो में काट–छांट के कारण हस्तगत आदेश संदिग्ध प्रतीत होने से खारिज योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2013 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार गिड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं आपसी सहमति के आधार पर पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश केम्प कोर्ट गिड़ा में आज दिनांक 30.06.2016 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)